राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः–प.18(13)नविवि / जयपुर / 2018 जयपुर, दिनांक : 13 MAY 2020

आदेश

राज्य में लागू एकीकृत भवन विनियम–2017, राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 में वर्णित विभिन्न प्रावधानों के संबंध में निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया जाता है :–

एकीकृत भवन विनियम–2017

1. एकीकृत भवन विनियम–2017 के भवन निर्माण की संबंधित दरों के बिन्दु संख्या–11 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

   "यदि निर्धारित अवधि के पश्चात् नवीनीकरण कराया जाता है तो इस अनुसूची के क्रम संख्या 1 के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क, अनुसूची के क्रम संख्या 2 के अनुसार जाँच शुल्क की 20 प्रतिशत राशि तथा तत्समय प्रभावी भवन विनियमों के अनुसार पूर्व में स्वीकृत किये गये भवन मानचित्र के समय वसूल किये गये मानचित्र अनुमोदन शुल्क की राशि का 20 प्रतिशत देय होगा।"

2. एकीकृत भवन विनियम–2017 के बिन्दु संख्या–16 पूर्णता प्रमाण–पत्र (कम्पलीशन सर्टिफिकेट) के 16.1 की निरन्तरता में निम्नानुसार प्रावधान जोडा जाता है :–

   ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्टो में भवन पूर्णाता प्रमाण–पत्र जारी करते समय सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट (STP) हेतु आवश्यक संरचना का निर्माण प्रोजेक्ट में किया जाना अनिवार्य होगा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट (STP) हेतु मशीनरी की स्थापना विकासकर्ता द्वारा पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि अथवा प्रोजेक्ट में निर्मित आवासीय इकाईयों में से कम से कम 30 प्रतिशत इकाईयों का वास्तविक उपयोग क्रेताओं द्वारा प्रारम्भ करने (अर्थात् कम से कम 30 प्रतिशत इकाईयों में नियमित विद्युत उपयोग हेतु बिजली कनेक्शन स्थापित हो), जो भी कम हो, पर किया जाना अनिवार्य होगा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट (STP) हेतु मशीनरी स्थापित कर इसका सुचारू संचालन प्रारम्भ किये जाने की अंतरिम अवधि में विकासकर्ता द्वारा स्थानीय निकाय / प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के निर्धारित मानदण्डों अनुसार अन्य विधि / प्रक्रिया द्वारा प्रोजेक्ट में सीवरेज डिस्पोजल का प्रबंध करना अनिवार्य होगा। इस हेतु विकासकर्ता से शपथ–पत्र प्राप्त किया जावेगा।

टाउनशिप पॉलिसी–2010 (Up to 10 hect. and above 10 hect.) –

1. टाउनशिप पॉलिसी–2010 में प्लाटेड डवलपमेंट की आवासीय योजनाओं में प्रत्येक 100 आवासीय भूखण्डों पर 10 दुकाने इन्फोरमल व्यवसाय हेतु रखे जाने का प्रावधान है। इसमें निम्न प्रावधान जोडा जाता है :–

   इन्फोरमल व्यवसाय हेतु योजना में प्रस्तावित भूखण्ड पर इन्फोरमल दुकाने, फुटपाथ व पार्किंग प्रस्तावित करते हुए खुदरा दुकानों पर स्वीकृत भवन विनियमों अनुसार भूतल+ एक मंजिल (अधिकतम ऊँचाई 8 मीटर) अनुज्ञेय होगी। तथापि इन्फोरमल व्यावसायिक भूखण्ड का एकल भवन प्रस्तावित किये जाने पर भवन विनियमों अनुसार सेटबेक रखे जाकर भूतल+प्रथम मंजिल भवन निर्माण की स्वीकृति अनुज्ञेय की जा सकेगी। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग।
7. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
9. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
10. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner